Rule of MCF to Allot Land

20. Shri Narender Gupta, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to State:-

a) the rules to allot land of Municipal Corporation, Faridabad to any Institution, Person and some other category;

b) the area of land/site allotted by the Municipal Corporation, Faridabad after January, 2020 and through which mode i.e. allotment or auction together with the details of the land/site allotted through allotment and auction separately ; and

c) Whether there is any such rule in Municipal Corporation, Faridabad under which the Corporation can provide the other department land on lease by taking NOC from that Department ; if so, whether any site has been provided on lease by the Municipal Corporation, Faridabad after January, 2020 together with the details thereof ?

KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir,

a) Municipal Corporation, Faridabad follows the following rules/regulations/policies/directions, issued by the Government in Urban Local Bodies Department for allotting any land of the Corporation:-

   i. Section 164 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

   ii. Policy for transfer of Government Municipal Bodies and Gram Panchayat land for public purposes notified by Revenue and Disaster Management Department bearing No. 563-ARIC-1-2020/48 dated 19.01.2021 amended from time to time.

   iii. Policy for transfer of Municipal lands by charging consideration notified by Revenue and Disaster Management Department bearing No. 391-ARIC-I-2021/6273 dated 25.11.2021.

b) After January, 2020, only one allotment has been done. 18 acres MCF land in village Bhankri has been allotted to J.C. Bose University of Science & Technology (YMCA), Faridabad at Collector rates, after obtaining approval of the Government vide its memo No. 12/45/2020-5CI dated 20.05.2020.

c) There is no such rule vide which Municipal Corporation, Faridabad can allot land of other Department on lease. However, Municipal Corporation, Faridabad has informed vide its Memo No. MCF/CTP/2022/127 dated 04.08.2022 that is has allotted a temporary booth site measuring 5.0 m X 5.0 m in HSVP parking area near Metro Hospital Sector-16A, Faridabad to Smt. Pooja Dhingra vide memo No. MCF/STP/2020/221, dated 05.03.2020. This permission was issued after obtaining NOC from the Estate Officer, HSVP.

नगर निगम फरीदाबाद को भूमि आबंटन का नियम

20 **श्री नरेन्दर गुप्ता विधायक,:** क्या शहरी स्थानीय मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि किसी संस्था, व्यक्ति तथा किसी अन्य वर्ग को आंबटित करने के क्या नियम है।

(ख) जनवरी, 2020 के बाद नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा कितना भूमिका क्षेत्र/स्थल आबंटित किया गया है तथा किस माध्यम से अर्थात् आबंटन या नीलामी की गई तथा आबंटन तथा नीलामी के माध्यम से आबंटित भूमि का अलग–अलग ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या नगर निगम, फरीदाबाद में ऐसा नियम है जिसके अर्न्तगत निगम दूसरे विभाग को विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेकर भूमि पट्‌टे पर उपलब्ध करा सकता है; यदि हां, तो क्या जनवरी, 2020 के बाद नगर–निगम, फरीदाबाद द्वारा कोई स्थल पट्‌टे पर उपलब्ध करवाए गया है उसका ब्यौरा क्या है ?

कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान जी,

(क) निगम की किसी भी भूमि को आवंटित करने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित नियमों/विनियमों/नीतियों/निर्देशों का पालन करता हैः—

i. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164।
ii. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि के सार्वजनिक उपयोग के लिए हस्तान्तरण हेतु नीति, दिनांक 19.01.2021।
iii. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित सं0 391–ए0आर0आई0 सी0–1–2021/6273 दिनांक 25–11–2021 द्वारा अधिसूचित शुल्क वसूल कर नगर निगम की भूमि के हस्तांतरण की नीति।

(ख) जनवरी, 2020 के बाद सिर्फ एक ही आबंटन हुआ है। सरकार के ज्ञापन सं.12/45/2020–5सी1 दिनांक 20–05–2020 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भांकरी गांव में 18 एकड़ नगर निगम, फरीदाबाद भूमि को कलैक्टर दरों पर जे0सी0 बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वाई–एम–सी–ए), फरीदाबाद को आबंटित किया गया है।

(ग) ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत नगर निगम, फरीदाबाद अन्य विभागों की भूमि पट्टे पर आबंटित कर सकता है। हालांकि, नगर निगम, फरीदाबाद ने अपने पत्र क्रमांक एम0सी0एफ0/सी0टी0पी0/2022/127 दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि फरीदाबाद में श्रीमती पूजा ढ़ींगरा को पत्र संख्या एम0सी0एफ0/एस0टी0पी/2020/221, दिनांक 05.03.2020 के द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मेट्रो अस्पताल सेक्टर–16 ए, पार्किंग क्षेत्र में 5.0 मीटर X 5.0 मीटर का एक अस्थायी बूथ आबंटित किया गया है। यह अनुमति संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जारी की गई थी।